

North Block, New Delhi
Dated: 26th October, 2016

OFFICE MEMORANDUM


Subject: Deputation/Delegations abroad of Officials and /or non-Official sponsored by Government of India – ex-India leave - regarding.

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No.19036/7/75-E-IV (B) dated 05.08.1976 on the subject mentioned above. As per Para 11 of the said O.M. "An officer may, subject to the exigencies of public service, be granted leave while abroad for the period not exceeding 50% of the actual period of the duty abroad (excluding the transit time from India to the country of deputation and back and enforced halt) or a fortnight, whichever is less, for personal reasons". Subsequently, it was clarified vide this Department's O.M. No.19036/2/2008-E-IV dated 04.07.2008 that "during such ex-India leave the closed holidays "Saturday and Sunday" etc. may be allowed to be pre-fixed/ suffixed as the case may be, subject to the condition that no extra financial implications like payment of hotel charges/ per diem allowance etc. are involved".

2. References are being received in this Department seeking clarification on applicability of Department of Personnel & Training instructions issued vide letter No. 11019/06/2001-AIS-III dated 05.12.2007 regarding "Delegation of Powers to the State Governments and Ministries/Departments of the Government of India in cases of Members of All India Services proceeding abroad on ex-India leave (excluding Study Leave)" wherein it is provided that ' in case of official visits of a duration less than 8 days, the limit of 50% may be relaxed and ex-India leave upto a maximum 4 days may be granted '.

3. The matter has been considered in the Department of Expenditure and it has been decided that in case of official visit/ tour abroad (including training and excluding Study Leave) where the period of deputation is less than eight (08) days, the Government Official may be granted ex-India leave for a maximum period of four (04) days. In respect of official visit/ tour abroad including training for more than eight days, the limit of 50% ex-India leave will continue. During ex-India leave, the closed holidays "Saturday and Sunday" etc. may be allowed to be pre-fixed / suffixed as the case may be, subject to the condition that no extra financial implications like payment of hotel charges/ per-diem allowance etc. are involved.

4. Para 11 of this Department's O.M. No.19036/7/75-E-IV (B) dated 05.08.1976 and O.M. No.19036/2/2008-E-IV dated 04.07.2008 will stand modified to the extent as mentioned in Para 3 above.


26/10/2016
(Nirmala Dev)

Deputy Secretary to the Government of India
Telefax. 23093276

All Ministries/ Departments of Government of India.

Copy to: NIC for uploading on Official Website of Department of Expenditure.

सं.19036/2/2016-ई.IV

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
ई.IV अनुभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
26 अक्टूबर, 2016

कार्यालय ज्ञापन


विषय: विदेश में भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अधिकारियों और/या गैर सरकारी व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति/शिफ्टमंडल- भारत से बाहर छुट्टी के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 05.08.1976 के का.ज्ञा. सं.19036/7/75/-ई.IV(बी) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है। उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 11 के अनुसार "किसी अधिकारी को, विदेश प्रवास के दौरान, लोक सेवा की तात्कालिक आवश्यकताओं के अध्यधीन, निजी कारणों से विदेश में इयूटी की वास्तविक अवधि के 50% से अनधिक अवधि (भारत से प्रतिनियुक्ति वाले देश तक आने-जाने और मजबूरन रुकाव को छोड़कर) अथवा एक पखवाड़े के लिए, इनमें से जो भी कम हो, छुट्टी प्रदान की जा सकती है।" बाद में, इस विभाग के दिनांक 04.07.2008 के का.ज्ञा. सं.19036/2/2008-ई.IV के तहत यह स्पष्ट किया गया था कि "भारत से बाहर ऐसी छुट्टी के दौरान बंद अवकाश दिनों "शनिवार और रविवार" आदि को छुट्टी के पहले/बाद में, जैसा भी मामला हो, जोड़े जाने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते होटल प्रभारों/दैनिक भत्ता आदि के भुगतान जैसा कोई अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थ शामिल न हो।"

2. इस विभाग में "अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों के भारत से बाहर छुट्टी (अध्ययन छुट्टी को छोड़कर) पर विदेश जाने के मामलों में राज्य सरकारों और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों को शक्तियों के प्रत्यायोजन" के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05.12.2007 के पत्र सं.11019/06/2001-एआईएस-III के तहत जारी अनुदेशों, जिनमें यह प्रावधान किया गया है कि '8 दिन से कम अवधि के सरकारी दौरों के मामले में, 50% की सीमा में छूट दी जा सकती है और भारत से बाहर अधिकतम 4 दिन तक की छुट्टी प्रदान की जा सकती है', के संबंध में स्पष्टीकरण मांगते हुए पत्र प्राप्त हो रहे हैं।

3. इस मामले पर व्यय विभाग में विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी विदेश यात्रा/दौरे (प्रशिक्षण शामिल करते हुए और अध्ययन छुट्टी को शामिल न करते हुए) के मामले में, जहां प्रतिनियुक्ति की अवधि आठ (08) दिन से कम हो, सरकारी अधिकारी को भारत से बाहर अधिकतम चार (04) दिन की अवधि के लिए छुट्टी प्रदान की जा सकती है। प्रशिक्षण सहित आठ दिन से अधिक की सरकारी यात्रा/दौरे के संबंध में, भारत से बाहर 50% छुट्टी की सीमा जारी रहेगी। भारत से बाहर छुट्टी के दौरान, बंद अवकाश दिनों "शनिवार और रविवार" आदि को छुट्टी के पहले/बाद में, जैसा भी मामला हो, जोड़े जाने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि होटल प्रभारों/दैनिक भत्ता आदि के भुगतान जैसा कोई अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थ शामिल न हो।"

4. इस विभाग के दिनांक 05.08.1976 के का.ज्ञा. सं.19036/7/75-ई.IV(बी) का पैरा 11 और दिनांक 04.07.2008 के का.ज्ञा. सं.19036/2/2008-ई.IV उपर्युक्त पैरा 3 में उल्लिखित सीमा तक संशोधित हो जाएंगे।



(निर्मला देव)

उप सचिव, भारत सरकार
टेलीफेक्स: 23093276

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि: एनआईसी को व्यय विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।